



# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन0एस0बी0-2 पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र सदाकत आश्रम पटना-800010 दूरभाष संख्या : 2261250 / 2262265.  
ई-मेल-bspcb@yahoo.com, msbspcb-bih@gov.in वेबसाइट-http://bspcb.bihar.gov.in


अधिसूचना संख्या: 01

दिनांक: 06-01-23

:अधिसूचना :

पर्षद् मंडल की 113वीं बैठक, दिनांक 14.11.2022 के कार्यावली संख्या: 10 अन्यान्यन विषय (1) में लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना संख्या-32 दिनांक 26.12.2022 द्वारा अधिसूचित था कि वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में स्थायी रूप से पटाखों का भण्डारण करने वाले स्थलों के लिए पर्षद् से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे स्थलों पर पूर्व से संचालित भण्डारण स्थल के भण्डारणकर्ता स्थापनार्थ/संचालनार्थ हेतु सहमति आवेदन पर्षद् के पोर्टल के माध्यम से दिनांक 30.01.2023 तक समर्पित करें अन्यथा ऐसे संचालकों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अनुमान्य होगी। इस अधिसूचना में लिखे गये शब्द 'संग्रहण' एवं संग्रहणकर्ता को विलोपित करते हुये क्रमशः भण्डारण एवं भण्डारणकर्ता किया जाता है।

यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा ।

  
(एस0 चन्द्रशेखर)  
सदस्य-सचिव



# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिदेश भवन, एन0एस0बी0-2, पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र, सदाकत आश्रम पटना-800010 दूरभाष संख्या : 2261250 / 2262265.  
ई-मेल-bspcb@yahoo.com, msbspcb-bih@gov.in वेबसाईट-<http://bspcb.bihar.gov.in>

अधिसूचना संख्या: 32

दिनांक: 26-12-22

:अधिसूचना :

पर्षद् मंडल की 113वीं बैठक, दिनांक 14.11.2022 के कार्यावली संख्या: 10 अन्यान्य विषय (1) में लिये गये निर्यय के आलोक में अधिसूचित किया जाता है कि वायु प्रदूषण के रोकथाम एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में स्थायी रूप से पटाखों का संग्रहण करने वाले स्थलों के लिए पर्षद् से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसे स्थलों पर पूर्व से संचालित संग्रहकर्ता दिनांक 30.01.2023 तक अपना स्थापनार्थ/संचालनार्थ हेतु सहमति आवेदन पर्षद् के पोर्टल के माध्यम से समर्पित करें अन्यथा ऐसे संस्थानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगा ।

ह0/-

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक: 2835

दिनांक: 26-12-22

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी/पर्षद् विश्लेषक/सभी सहायक पर्यावरण अभियन्ता/सभी वैज्ञानिक/ सभी सहायक वैज्ञानिक पदाधिकारी/ मिडिया कन्सलटेन्ट(पी0आर0सेल)/आई0टी0सेल/आय-व्यय एवं बजट पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित। आई0टी0सेल को निर्देश दिया जाता है कि निर्गत अधिसूचना को पर्षद् के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए तथा OCMMS में इस हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

(एस0 चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव